भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्न सं. 1780**

जिसका उत्तर 11.02.2021 को दिया जाना है

**लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण पर प्रभाव**

1780. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च, 2020 से जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान इसके पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और चौड़ीकरण किया गया है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क के ध्वस्त होने या सड़क के दोषपूर्ण डिजाइन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए ठेकेदारों पर भविष्य की परियोजनाओं हेतु बोली लगाने के लिए दंडस्वरूप भारी जुर्माना और प्रतिबंध लगाने हेतु नियम बनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्गों के उत्तम निर्माण हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के निर्माण की प्रगति चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाहियों यानी 2020-21 के लिए देश में कोविड-19 की महामारी के बाद लॉकडाउन लागू होने के कारण प्रभावित हुई थी। हालाँकि, अपनी नकदी के प्रवाह को आसान करने के लिए, ठेकेदारों, रियायतों और डेवलपर्स को हर संभव मदद देने के लिए आत्मानिभर भारत के तहत सरकार द्वारा की गई कई पहलों के कारण रारा के निर्माण की गति वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में बढ़ी।

(ख) जनवरी, 2021 तक निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 9132 किलोमीटर है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 की इसी अवधि के दौरान यह 7925 किलोमीटर थी।

(ग) और (घ) एनएचएआई ने एनएचएआई परियोजनाओं में संरचनाओं / राजमार्ग की विफलता के मामले में ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय करने के लिए 08.01.2021 को एक नीति परिपत्र जारी किया है। तदनुसार, असफलता / उपेक्षा की गंभीरता के आधार पर प्रमुख कार्मिकों के लिए अनुबंध फर्म पर 30 लाख रुपये से लेकर 10 करोड़ रु वित्तीय दंड और 3 वर्ष तक के प्रतिबंध का प्रस्ताव किया गया है।

(ङ) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राजमार्ग सुरक्षा के विकास के सभी चरणों अर्थात डिजाइन / निर्माण / संचालन चरणों में सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा किए जा रहे हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए क्रैश बैरियर लगाने, ब्लैक स्पॉटों को ठीक करने जैसी प्राथमिकता पर विभिन्न पहल की है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय / भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है। क्षेत्र में प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यान्वित गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन का प्रयोग प्राधिकरण अभियंता और गुणवत्ता जांच के माध्यम से किया जा रहा है।

*****